( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 82 / 2021**

**बउनवान**

रामप्रताप पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड़ निवासी कडैयानोहर तहसील छबड़ा जिला बाराँ

(अपीलांट)

**बनाम**

1. दांखाबाई पुत्री मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी कडैयानोहर तहसील छबड़ा जिला बाराँ
2. कंचनबाई पुत्री मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी कडैयानोहर तहसील छबड़ा जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्टगण)

**अपील विरूद्ध तहसीलदार छबड़ा के प्रकरण सं0:– राजस्व / धारा 251 / रास्ता / 2020 / 2 / 1652 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2021 के अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट**

उपस्थित :– 1– श्री रूपचंद सिंघावत अभिभाषक (अपीलांट)

2– श्री रमेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक (रेस्पोडेन्टगण)

## निर्णय दिनांक 22.03.2021

अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबड़ा द्वारा अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण सं0:– राजस्व / धारा 251 / रास्ता / 2020 / 2 / 1652 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2021 की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 12.02.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक की स्थगन प्रार्थना–पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई और प्रकरण में अधी0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की क्रियान्विति आगामी आदेश तक स्थगित रखी गई। प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली निर्णय दिनांक तक अप्राप्त रही है। प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक द्वारा निवेदन करने पर कि खेतों में फसल कटाई हेतु तैयार खड़ी है। जिसे खेतों से घर तक लाने में रास्ते का विवाद है। अतः प्रकरण आवश्यक प्रवृत्ति का है। इस पर इस न्यायालय की पत्रावली में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति को हीं आधार मानकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

**अपीलांट के अभिभाषक** द्वारा दौरान बहस [illegible] के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सामान्य तथ्यों की [illegible] बिना हीं निष्कर्ष लेकर रेस्पो0 की आराजी खसरा नं0 310 में 16.6 फुट [illegible] का गाड़ी[illegible] ट्रेक्टर आदि वाहनों का नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया [illegible] पटवारी की मौका [illegible] रिपोर्ट दिनांकित 08.01.2021 में यह स्पष्ट वि[illegible] मौके पर कोई पुरान[illegible] नहीं है तथा आस–पास के काश्तकारों द्वारा भी मौके पर कोई रास्ता पूर्व से स्थापित नहीं बताया जाने के बावजूद भी अपीलांट की आराजी में नया रास्ता कायमी का आदेश पारित कर दिया गया है। जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 15:28:07 IST
Reason: SelfAttested

हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट पैदल आने–जाने का हीं रास्ता तस्दीक करती है, जो कायम है। अपीलांट पर रास्ते को हांक जोतकर नष्ट कर देने का आरोप मिथ्या है। रेस्पो0 का अपनी आराजी खसरा नं0 309 में गाड़ी बैल, ट्रैक्टर कृषि यंत्र इत्यादि आने–जाने का रास्ता सदैव से आम रास्ता खसरा नं0 305 पर होकर खसरा नं0 306 के खातेदार रामगोपाल व खसरा नं0 103 के खातेदार देवकरण हिस्सा 1/2 के खेत के मध्य स्थित 12 फुट चौड़े रास्ते से होकर है, जो खसरा नं0 316 पहाड़ी के किनारे–किनारे रेस्पो0 के खेत खसरा नं0 309 पर जाता है। चूंकि यह रास्ता अधिक लम्बाई का है, इसलिये रेस्पो0 कम दूरी का सुविधाजनक रास्ता अपीलांट के खेत से होकर चाहते है जिसका उन्हें न तो कोई अधिकार है और न हीं यह अधिकार न्यायालय से बदनीयती पूर्वक पाने का हक रखते है। अधी0 न्यायालय को निर्णय पारित करने से पूर्व सजगता से इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए था और अपने संज्ञान में लेना चाहिये था जो कि सामान्य सरसरी जांच से हीं आसानी से प्रकट व उजागर था।

रेस्पो0 के रास्ते बाबत यह स्पष्ट रूप से संज्ञान में लेना चाहिये था कि तथाकथित रास्ता पूर्व से जब अस्तित्व में नहीं रहा था तो उस स्थान पर नया रास्ता कायम कर देने का निष्कर्ष कतई अवैधानिक होने से गलत है। अधी0 न्यायालय ने सरपंच की पक्षपाती अभिशंषा/रिपोर्ट पर यह आदेश पारित किया जबकि रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना–पत्र में रास्ते की चौड़ाई की मांग नहीं की थी। अपीलांट की आराजी में फसल बोई हुई है जिसे पकने में अभी समय लगेगा। अधी0 न्यायालय द्वारा अपीलांट के खेत में 16.6 फुट चौड़ाई का नया रास्ता कायम कराने के लिए पुलिस प्रशासन को भी आदेशित कर दिया है जिससे अपीलांट को अत्यधिक क्षति होना सुनिश्चित है इसलिए अधी0 न्यायालय के आदेश को स्थगित किया जाना आवश्यक है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधी0 न्यायालय तहसीलदार छबड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2021 बउनवान दांखाबाई वगैराह बनाम रामप्रताप निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

**रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक** द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अधी0 न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप हीं पारित किया गया है। रेस्पो0 के खेत में जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः तहसीलदार, छबड़ा द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

**मेरे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस** सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन/विश्लेषण किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण सं0:– राजस्व/धारा 251/रास्ता/2020/2/1652 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2021 से रेस्पोडेन्टगण को अपीलांट की आराजी से होकर गाड़ी बैल, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र इत्यादि आने–जाने के लिए 16 फुट 6 इंच का रास्ता कायम किया है। जबकि हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 08.01.2021 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अपीलांट की आराजी में पैदल जाने का रास्ता तो है लेकिन ट्रैक्टर–ट्रौली के आने–जाने का रास्ता नहीं है। प्रकरण में अधी0 न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा अपने श्रवणाधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त निर्णय पारित किया गया है। परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2021 को खारिज किया जाता है यद्यपि अपीलांट की आराजी में रेस्पोडेन्टगण का पैदल आने–जाने का रास्ता (जैसा कि पटवारी रिपोर्ट मे उल्लेख है)यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 15:28:07 IST
Reason: SelfAttested

( मोहम्मद अबूबक्र )
अति0 जिला कलक्टर, बाराँ

78 Fesla 2021